

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 224/22

तारीख 30.5.2022

सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

01. मुन्शीलाल पुत्र बनेसिंह जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमलावता तहसील सहारनपुर जिला राजगढ़ (म0प्र0)
02. सीता देवी पत्नि दुर्गालाल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 30.5.2022

प्रार्थना पत्र सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति शर्मा निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 308 पर अंकित आराजी संख्या 995/298 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्ष कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 308 पर अंकित आराजी संख्या 995/298 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ